एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक शुक्ल पक्ष, एकादशी
गुरूवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

7 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

सीमांचल से एक साल में गायब हुईं 180 लड़कियां, VHP ने पुलिस पर उठाए सवाल

विहिप ने लगाया लव जिहाद का आरोप, दो साल में भी पुलिस नहीं कर पाई जांच पूरी पूर्णिया

विश्व हिन्दू परिषद ने सीमांचल में बड़े पैमाने पर लव-जिहाद का रैकेट चलने की शिकायत की है। दो मामलों का उदाहरण देते हुए विहिप पदाधिकारियों ने पुलिस को इस मामले में कठघरे में खड़ा किया है। विहिप कार्यकर्ता लगातार ऐसे मामलों की तहकीकात करते हैं और उनका सही समाधान चाहते हैं। जबकि पुलिस इसे कानूनकी आड़ में मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देती है विहिप ने दो मामलों का उदाहरण देकर बताया कि पुलिस इन मामलों में धीरे काम कर रही है और एक साल में 180 लड़कियां क्षेत्र से गायब हो गई हैं।

विश्व हिन्दू परिषद के स्थानीय नेता पवन कुमार पोद्दार के बताया कि सीमांचल में लव-जिहाद को लेकर कुछ खास लोग जो एक संगठित गिरोह के तौर पर काम करते हैं, वे मुस्लिम समाज के लड़कों-पुरुषों के साथ हिन्दू समाज की लड़कियों और महिलाओं को भगाने और उनसे शादी करने अथवा धर्मांतरण कराने के काम में लगे हुए हैं। सीमांचल में विहिप के नेताओं ने पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार को लव-जिहाद के दो पीड़ितों के उदाहरण के साथ ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की मांग की है। पहला मामला डगरुआ थाना क्षेत्र के कांड संख्या 200/19 का है, जिसके तहत लसनपुर गांव पूरण मंडल की बेटी तेतरी कुमारी और गांव के ही युवक सुफियान के बीच का मामला जुड़ा है। इस मामले में पूरण मंडल की ओर से सुफियान पर तेतरी के अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। जबकि दूसरा मामला मीरगंमज थाना के कांड संख्या 117/17 का है, जिसमें अरविंद सिंह ने अपनी पत्नी किरण देवी को गांव के ही अकबर मोहम्मद द्वारा भगा लिए जाने की शिकायत की गई है। दोनों मामले में अभी पुलिस की पूरी पड़ताल बाकी है और विहिप के प्रतिनिधि चाहते हैं कि पुलिस इन मामलों की वाजिब पड़ताल कर यह साफ करे कि मामला आखिर लव-जिहाद जैसे संगठित अपराध से जुड़ा है या नहीं। जबकि पुलिस के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है कि इन दो मामलों में वो अब तक जांच भी पूरी क्यों नहीं कर पाएं।

इधर पूर्णिया जोन के विनोद कुमार इस मामले में विशेष कुछ भी बताने और लव-जिहाद को स्वीकारने या अस्वीकारने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि वे मानते हैं कि ऐसे मामलों में जो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। उसके प्रावधान के हिसाब से ही पुलिस जांच पड़ताल होती है।

एकात्म भारत ई-पेपर पढ़ने के लिए फेसबुक पर दैनिक एकात्म भारत पेज को लाइक कर सकते हैं । इएकात्म भारत www.ekatmabharat.com पर भी उपलब्ध है। आप ई-मेल ekatmabharat1@gamil.com पर समाचार और सूचनाएं भेज सकते हैं।

इंदौर में पीएफआई कार्यकर्ता बिना सूचना बैठक करते धराए

कार्यालय भी बन गया पुलिस को सूचना दिए बिना, दस पर केस दर्ज

एकात्म भारत. इंदौर

अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इंदौर में पुलिस की सक्रियता जोरों पर हैं। बुधवार को इंदौर में पुलिस ने मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बिना अनुमति हो रही बैठक पर कार्रवाई की है। जवाहर मार्ग पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गोपनीय बैठक से खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में पुलिस ने छापा मारा और 10 पदाधिकारियों के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर लिया। बताया गया है कि बैठक में लगभग 40-50 व्यक्ति सम्मिलित थे।

सराफा थाना पुलिस के मुताबिक अयोध्या मसले पर आने वाले फैसले को लेकर पूरा जिला हाई अलर्ट है। सभी संवेदनशील क्षेत्रों की सर्चिंग की जा रही है। विवादित और सांप्रदायिक मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान मंगलवार रात सूचना मिली कि जवाहर मार्ग स्थित तनिष्क इमारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। टीम मौके पर पहुंची तो उनके पास बैठक की अनुमति नहीं मिली। संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस को बताया कि बैठक संगठन के चुनाव को लेकर की जा रही है।

लेकिन इन पदाधिकारियों के पास से पुलिस को चुनाव संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिला। इन्हें थाने लाकर पूछताछ की और देर रात आरोपित गफील रजा, अब्दुल खालिद, अब्दुल जमील, अब्दुल करीम, गुलान नबी, वसीम खान, आसिफ हुसैन, सोहेब, जाकिर और सईद टेलर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस का आरोप है कि जिस इमारत में पार्टी का दफ्तर था, उसकी सूचना भी थाने पर नहीं दी गई। हालांकि संगठन का कहना है कि कार्यालय खोलने की सूचना पुलिस को दी गई थी। इन लोगों पर बिना अनुमति बैठक करने के लिए धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

अधिकृत रुप से अल्पसंख्यकों के हक़ में आवाज उठाने वाला और उनकी परेशानियों से सरकार को अवगत कराने वाला संघठन है। लेकिन पिछले कुछ समय से इसकी गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं और कई राज्यों में इस पर प्रतिबंध की बात उठी है। झारखंड सरकार ने इस प्रतिबंधित भी कर रखा है। हाल ही उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले गोमती नगर में इस संगठन के पोस्टर लगे पाए गए थे। केरल में इस संगठन पर एबीवीपी, आरएसएस और कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप भी लगे हैं।

ढाई साल के सीएम का फॉर्मूला ठीक नहीं

मेरी व्यक्तिगत राय है कि शिवसेना का उपमुख्यमंत्री पद लेना चाहिए, बोले मा.गो. वैद्य

नागपुर

चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रवक्ता व विचारक मा.गो वैद्य ने कहा है कि वे निजी तौर पर मानते हैं कि ढाई साल के मुख्यमंत्री का फार्म्यूला ठीक नहीं है। यह फार्म्यूला न तो उन्हें मंजूर है न ही भाजपा मानेगी। वैद्य ने यह भी कहा कि शिवसेना ने उपमुख्यमंत्री पद लेना चाहिए साथ ही अन्य कुछ विभाग पर चर्चा की जा सकती है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने संघ मुख्यालय में सरसंघचालक डॉ.मोहन

भागवत से मुलाकात की। वैद्य का मानना है कि सरसंघचालक ने फडणवीस को सत्ता के गठन के बारे में कुछ नहीं कहा होगा। सामान्य तौर पर सरसंघचालक किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता के गठन के बारे में कोई सूचना या आदेश नहीं देते हैं। अयोध्या मामले को न्यायालय का निर्णय आनेवाला है। संघ जनता से संयम व कानून के पालन का आव्हान कर रहा है। संभव है मुख्यमंत्री ने अयोध्या मामले पर संभावित स्थिति के संबंध में सरसंघचालक से चर्चा की । वैद्य ने कहा कि शिवसेना भाजपा के साथ न रहे और सत्ता का पेंच न सुलझे तो भाजपा ने सरकार गठन करना चाहिए। बाद में विश्वासमत पेश करने की तैयारी हो।

विश्वासमत प्रस्ताव नामंजूर होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके 6 माह बाद चुनाव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अनेकों की इच्छा है कि महायुति की सत्ता आए। शिवसेना उपमुख्यमंत्री पद के लिए तैयार हो जाए तो राज्य में कुछ महत्वपूर्ण विभाग, केंद्र में दो मंत्री पद, दो राज्यपाल व विधानपरिषद में कुछ स्थान देने के विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है।